कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला-धार (म.प्र.)

deo.mpeddhr@mp.gov.in

धार, दिनांक :- 04/05/2024

–:: आदेश::–

धार जिले की कंपोजिट मदिरा दुकान जैतपुरा क्रमांक-2 पर आबकारी उपनिरीक्षक वृत-धार द्वारा दिनांक 19.04.2024 को शासन द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय से संबंधित जॉच हेतु टेस्ट परचेसिंग की कार्यवाही की गई थी, जिसमें देशी मदिरा प्लेन पाव (180 ML) 80/- रूपये में विक्रय किया जाना पाया गया, जो देशी मदिरा प्लेन के निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) 70 रूपये से 10/- (रूपये दस मात्र) अधिक है। आबकारी उपनिरीक्षक वृत धार द्वारा मदिरा दुकान के निरीक्षण दौरान अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण पी-8 क्रमांक 64 दिनांक 20.04.2024 पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार निर्धारित दर से अधिक विक्रय मूल्य पर मदिरा का विक्रय सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्त XXXII तथा लायसेंसी को जारी सहपठित अनुज्ञप्ति एफ.सी.एल.-1 की शर्त क्रमांक XIV का उल्लंघन है एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-27 दिनांक 08 फरवरी 2024 की कंडिका 20.2 के अन्तर्गत दण्डनीय होकर गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

कंपोजिट मदिरा दुकान जैतपुरा क्रमांक-2 के अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स महांकाल वाईन शॉप एल.एल.पी., पार्टनर श्री पीयुष पिता विजय राय को इस प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1577, दिनांक 24/04/2024 जारी किया गया था, जिसके पालन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपना उत्तर दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लेख है कंपोजिट मदिरा दुकान पर स्वीकृत अभिकर्ता, भोजन के लिये गया हुआ था तथा दुकान पर अन्य हेल्पर उपस्थित था, जो पढ़ा लिखा नहीं होने एवं मदिरा बिक्री रेट का ज्ञान नहीं होने के कारण उसने ग्राहक से देशी मदिरा प्लेन के पाव की कीमत 70 रूपये के स्थान पर 80 रूपये ले लिये थे। उसी समय वृत के उपनिरीक्षक द्वारा हाई रेट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त घटना में प्रार्थी की कोई भूमिका या सहमति नहीं थी तथा उक्त घटना उसे संदर्भित नोटिस के माध्यम से ज्ञात हुई थी, जिस पर उसके द्वारा दुकान संचालन में नियुक्त कर्मचारियों को मदिरा का विक्रय निर्धारित दर पर करने की समझाइस दी गई है तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति नहीं किये जाने का भी लेख कर उपरोक्त कारणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त करते हुए उपरोक्त त्रुटि के लिये विभागीय फैसला चाहा गया है।

अत: उक्त प्रकरण में गंभीर अनियमितता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होने से, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27, दिनांक 08 फरवरी 2024 की कंडिका 20.2 के प्रावधानानुसार कम्पोजिट मदिरा दुकान धार क्रमांक-1 के लायसेंस को 01 दिवस दिनांक ..05/05/2024 के लिये निलंबित किया जाता है तथा रूपये 10,000/- (अक्षरी रूपये दस हजार) क शास्ति आरोपित की जाती है।

लायसेंस निलंबन अवधि में लायसेसी को न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी एवं वार्षिक लायसेंस फीस में किसी भी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। इस निलंबन अवधि की देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी, वार्षिक लायसेंस फीस जमा करने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा।

सर्व संबंधित इस आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रियंक मिश्रा)
कलेक्टर,
जिला-धार (म.प्र.)

पृ.क्रंमाक/आब/अप./2024/ 1742 धार, दिनांक 04/05/2024

प्रतिलिपि -

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर, संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त धार की ओर भेजकर निदेर्शित किया जाता है कि, उक्त आदेश की प्रति संबंधित लायसेंसी को तामील कराकर तामीलशुदा प्रति सहायक आबकारी आयुक्त, धार के समक्ष प्रस्तुत करें तथा कंपोजिट मदिरा दुकान जेतपुरा क्र.-2 को दिनांक 05/05/2024 को बंद किया जाना सुनिश्चित करें।
6. कंपोजिट मदिरा दुकान जेतपुरा क्र.-2 के लायसेंसी मेसर्स महांकाल वाईन शॉप एल.एल.पी., पार्टनर श्री पीयुष पिता विजय राय, निवासी क्यू-4, रस बिहार कालोनी, झांसी (उ.प्र.) लायसेंसी एकल समूह धार DHR/F-1 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला-धार (म.प्र.)